पोलैंड: उच्च शिक्षा के विविध आयाम

पोलैंड की ख्याति उसकी राजधानी वारसॉ में हुई कई राजनीतिक संधियों के लिए है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इस पूर्व साम्यवादी देश ने इक्कीसवीं सदी में कई नए आयाम स्थापित किए हैं। यहां के विश्वविद्यालयों का अपना गठन है, लेकिन उनकी शिक्षा की रूपरेखा वैश्विक है। बता रही हैं सुषमा कुमारी

अपनी भौगोलिक व सांस्कृतिक विशेषताओं के बल पर विदेशियों को आकर्षित करने में सक्षम पोलैंड का गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। यूरोप के केंद्र में बसे पोलैंड का क्षेत्रफल 12,726 वर्ग किलोमीटर और जनसंख्या 3.85 करोड़ से ज्यादा है। पोलैंड में उच्च शिक्षा के 47 संस्थान हैं। इनमें से 13 यूनिवर्सिटीज और सरकारी संस्थान हैं। वर्ष 1999 में पोलैंड ने शिक्षा में बोलोन प्रॉसेस को अपनाया, जिसके तहत अब वहां तीन साल के बैचलर और दो वर्ष के मास्टर्स प्रोग्राम को मिला कर एम.ए. की डिग्री दी जाती है। हालांकि सभी विषयों के साथ ऐसा नहीं है।

संस्थान और डिग्री कोर्स

पोलैंड के उच्च शैक्षणिक नियमों के तहत सरकारी और निजी, दोनों ही संस्थानों में उच्च शिक्षा की छूट है। उच्च शैक्षणिक संस्थानों के दो मुख्य क्षेत्र हैं: यूनिवर्सिटी टाइप और नॉन-यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस, जहां कम से कम एक विषय में डॉक्टरेट से संबंधित पाठ्यक्रम होता है।

स्कॉलरशिप के लिए

वे सभी अंतरराष्ट्रीय छात्र यहां स्कॉलरशिप के लिए एप्लाई कर सकते हैं, जिनके देश और पोलैंड के बीच द्विपक्षीय समझौते के तहत इससे संबंधित कुछ नियम बनाए गए हों, लेकिन भारतीय छात्रों के लिए ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

फीस

निजी संस्थानों में फुलटाइम उच्च शैक्षणिक कोर्स मुफ्त किए जा सकते हैं। हालांकि इस नियम के दो अपवाद भी हैं-

1. अगर पहली बार में छात्र संतोषप्रद रिजल्ट नहीं देता तो दूसरी बार उस कोर्स के लिए उसे फीस जमा करानी पड़ सकती है।

2. आवेदन करने वाले छात्रों को प्रशासनिक फीस अवश्य देनी होती है, जो किसी भी संस्थान द्वारा पहले से ही तय होता है। हालांकि शिक्षा मंत्रालय द्वारा तय वार्षिक राशि से ज्यादा फीस संस्थान नहीं रख सकता।

3. ज्यादातर सरकारी उच्च शैक्षणिक संस्थानों में पार्ट-टाइम कोर्सेज हेतु एक निश्चित फीस तय की जाती है। सरकारी या गैर-सरकारी संस्थानों में ट्यूशन फीस अलग-अलग हैं।

वर्क परमिट

पोलैंड में फुलटाइम कोर्स कर रहे विदेशी छात्रों को जुलाई, अगस्त और सितंबर माह में जॉब करने की इजाजत है, जबकि अन्य महीनों में काम करने के लिए वर्क परमिट की जरूरत होती है। स्टूडेंट वीजा की बदौलत विदेशी छात्रों को यहां जॉब की इजाजत नहीं है। इसके लिए उन्हें रेजिडेंट वीजा लेना होता है। विदेशी छात्रों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है।

एकेडमिक ईयर

पोलिश यूनिवर्सिटीज में अमूमन एकेडमिक ईयर 15-15 हफ्ते के दो सेमेस्टर में बंटे होते हैं। अक्तूबर से शुरू होने वाला सेमेस्टर मिड फरवरी तक चलता है, जबकि फरवरी से शुरू होने वाला जून अंत तक।

पोलिश भाषा के लिए

यहां कई विषयों की शिक्षा अंग्रेजी में दी जाती है, इसलिए जरूरी नहीं कि आपको पोलिश भाषा आनी ही चाहिए।

वीजा

विदेशी छात्रों को यहां शिक्षा के लिए पोलिश एंबेसी से वीजा की आवश्यकता होगी। यह वीजा अधिकतम तीन माह के लिए मान्य होगा। इससे ज्यादा समय तक वहां रहने के लिए वीजा एक्सपायर होने से 45 दिन पहले तक रेजिडेंट वीजा के लिए एप्लाई करना जरूरी है।

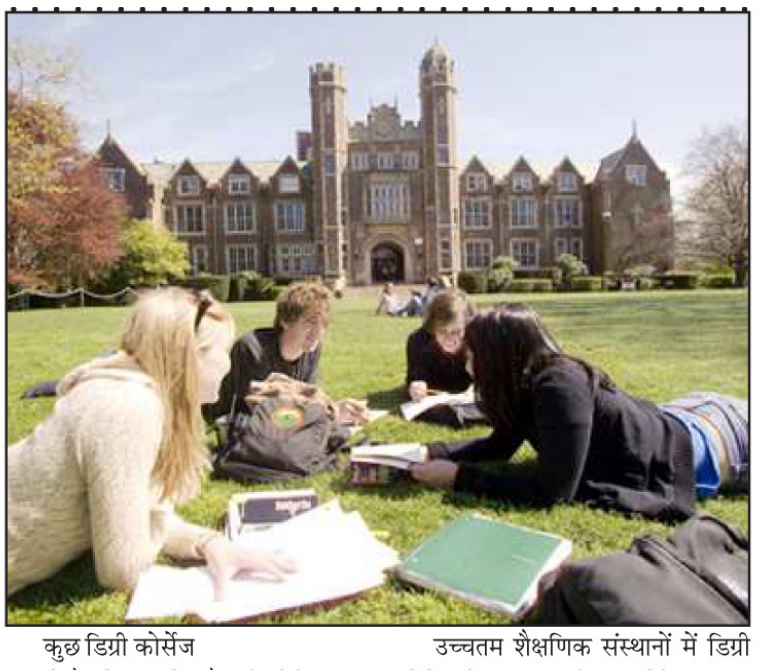

कुछ डिग्री कोर्सेज

पोलैंड में 'लाइसेंसजैट' के प्रोफेशनल टाइटल के लिए तीन से चार वर्ष वाला कोर्स करना होगा।

इंजीनियरिरग की डिग्री पाने के लिए साढ़े तीन से चार वर्ष का समय लग सकता है।

मास्टर्स डिग्री के लिए यहां डेढ़ से दो साल तक के कोर्सेज करने होते हैं। इसके बाद आपको 'मैजिस्टर' या इसके समतुल्य डिग्री मिल पाएगी। 'मैजिस्टर' के कुछ कोर्सेज साढ़े चार या छह वर्ष वाले भी हैं।

यूनिवर्सिटी-टाइप स्कूलों सहित कुछ रिसर्च स्कूलों में डॉक्टरल प्रोग्राम्स को भी जगह दी जाती है।

नामांकन के लिए

उच्चतम शैक्षणिक संस्थानों में डिग्री कोर्सेज के लिए आपके पास होने चाहिए-

सेकेंडरी स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या मैजिस्टर, लाइसेंसजैट, इंजीनियर या समतुल्य डिग्री।

नामांकन की शर्तें और प्रक्रिया सहित किसी भी क्षेत्र में अध्ययन हेतु उच्च शैक्षणिक संस्थान के सीनेट का सहमति पत्र।

फर्स्ट और लॉन्ग साइकिल प्रोग्राम्स में नामांकन हेतु सेकेंडरी स्कूल लीविंग एग्जामिनेशन रिजल्ट का साथ होना जरूरी है।

विदेशी छात्रों को यहां उच्च शिक्षा हेतु नामांकन के लिए यूनिवर्सिटी,फैकल्टीज या इंटरनेशनल रिलेशंस ऑफिस से संपर्क करना होगा।

यूजीसी की नई पहल

यूजीसी की हालिया पहल रंग ला रही है। नेट, सेट और पीएचडी चालिफाइड स्टूडेंट्स की मदद के लिए यूजीसी ने अपनी वेबसाइट पर एक नया सेक्शन शुरू किया था। होम

पेज पर ही इस सेक्शन का लिंक देखा जा सकता है।

इस सेक्शन में इस कैटेगरी के सारे स्टूडेंट्स अपनी पूरी डिटेल के साथ रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिसका फायदा ये होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और रिसर्च इंस्टीटयूट्स में वेकेंसीज हैं, वे इस सारे डेटा को इस्तेमाल कर सकेंगी। एक ही मंच पर जब एक साथ इतने सारे केंडिडेट मिल जाएंगे तो उनको तलाश रही संस्थाओं को तो फायदा मिलेगा ही, स्टूडेंट्स को भी घर बैठे ढेरों ऑफर मिलेंगे। सोने पर सुहागा ये कि यूजीसी ने देश भर की यूनिवर्सिटीज और कॉलेजों में जो वेकेंसीज हैं, उन्हें भी इस सेक्शन में देना शुरू कर दिया है। नतीजा ये कि हजारों स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करवाना भी शुरू कर दिया है।

अब जम के उड़े!

संसद में इस बार भले ही जम कर हंगामा हुआ, लेकिन उड्डयन मंत्री अजीत सिंह ने लोकसभा में स्टूडेंट्स के फायदे के लिए एक जरूरी बिल फिर भी पास करवा लिया। ये था एविएशन यूनिवर्सिटी बिल। हर एयरलाइंस में फर्जी लाइसेंस वाले पायलट और फेक एविएशन कॉलेज पिछले दो-तीन वर्षों में पकड़े गए हैं, ऐसे में इस तरह की यूनिवर्सिटी की काफी जरूरत महसूस की जा रही थी। 2 करोड़ की लागत से बनने वाली इस एविएशन यूनिवर्सिटी में खाली एविएशन की पढ़ाई और ट्रेनिंग ही नहीं होगी, बिल के मुताबिक एविएशन मैनेजमेंट, एविएशन रेगुलेशन पॉलिसी जैसे विषयों पर भी फोकस किया जाएगा। इतना ही नहीं, एविएशन हिस्ट्री, एविएशन मेडिसिन, एविएशन लॉ, एविएशन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, एविएशन साइंस और इंजीनियरिंग जैसे सब्जेक्ट्स भी यहां पढ़ाए जाएंगे। साफ है कि एविएशन फील्ड में करियर बनाने की चाहत रखने वाले स्टूडेंट्स को बिना धोखेबाजी के बेहतरीन ट्रेनिंग का जरिया मिलने वाला है, सो वो खुश ही होंगे। यूनिवर्सिटी का नाम राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी होगा और ये रायबरेली में खुलेगी। सो लाखों वो लोग भी खुश होंगे, जिनका एविएशन से कोई लेना-देना नहीं है।

हर तरह की खांसी में काम नहीं आएगा एक तरह का सिरप

बदलते मौसम के साथ जुकाम-खांसी आम समस्या है। खांसी एक नैचरल रिफ्लक्स है जो आपके लंग्स की सुरक्षा करती है। खांसने से आपके फेफड़ों की नलियों में छिपी हानिकारक चीजें साफ होती हैं। लेकिन कई कफ वायरल इंफेक्शंस जैसे कोल्ड और फ्लू से पैदा होते हैं। जहां कई बार कफ अपने आप ठीक हो जाता है, वहीं कभी-कभी आपको कफ के लिए दवा भी लेनी पड़ सकती है। सभी कफ एक जैसे नहीं होते तो दवा भी एक तरह नहीं हो सकती।

सामान्य तौर पर खांसी दो तरह की होती है

कफ या बलगम वाली खांसी

-सूखी खांसी

कफ या बलगम वाली खांसी

अगर आपको कफ वाली खांसी है तो ऐसा कफ सिरप लेना चाहिए जो इस कफ को आपके फेफड़ों से बाहर निकाले। इसके लिए एक्सपेक्टोरैंट सिरप आते हैं। ये कफ को पतला करके इसे बाहर निकालने में मददगार होते हैं। आप डॉक्टर की सलाह पर एक्सपैक्टोरेंट ले सकते हैं इसके साथ ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं इससे म्यूकस पतला होगा।

एक्सपेक्टोरैंट सिरप आपका कफ निकालते हैं। अगर आपको खांसी से दर्द, जकड़न या सांस फूलने या सांस लेने की समस्या को दूर करने के लिए ब्रॉन्कोडायलेटर ले सकते हैं। यह एयर पैसेज को खोलर सांस लेना आसान करते हैं। ब्रॉन्कोडायलेटर को आप डॉक्टर की सलाह पर सिरप या इनहेलर के तौर पर ले सकते हैं।

सूखी खांसी

सूखी खांसी में कोई कफ नहीं आता लेकिन यह काफी दिक्कत देती है। इसके लिए आपको कफ सप्रेसैंट्स दिए जाते हैं। कफ सप्रेसैंट से खांसी में आराम मिलता है। सामान्य तौर पर ये सिरप के तौर पर लिए जाते हैं, इन्हें डॉक्टर की सलाह पर लेना चाहिए।

थ्रोट लॉन्जेज

ये छोटी गोलियां होती हैं जो कि मुंह में घुलकर खांसी रोकती हैं। इनमें शहद, अदरक, पेपरमिंट, मेंथॉल, यूकेलिप्टस ऑइल, सप्रेसेंट और दूसरे सूदिंग एजेंट्स होते हैं।

फायदा- यह थोड़ी देर के लिए आपकी खांसी रोकती हैं और गले को राहत देती हैं।

जरूर याद रखें ये बातें

-तीन हफ्तों से ज्यादा खांसी बुखार के साथ आए तो तुरंत डॉक्टर से मिलें।।

-बेहतर होगा कोडीन वाले कफ सिरप न लें क्योंकि इनकी आदत पड़ जाती है।

-बच्चों या बड़ों ऐंटी-ऐलर्जी दवाएं न दें वर्ना उन्हें नींद आती रहेगी।

-कई सिरप्स में सप्रेसैंट्स, एक्सपेक्टोरैंट्स और ऐनाल्जेसिक्स होते हैं, इन्हें न लें क्योंकि जरूरी नहीं कि आपको ये तीनों ही समस्याएं हों।